

न्यायालय अनुमण्डल दण्डाधिकारी, बसिया (गुमला)।

धारा 107 दं0प्र0सं0

वाद सं0 83/2022

आदेश की क्र० सं० एवं तिथि	दण्डाधिकारी का आदेश एवं हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई टिप्पणी
1 14/10/22	उक्त वाद की कार्रवाई थाना पालकोट के अप्राथमिकी सं० 37/2022 दिनांक 04/07/2022 के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है प्रथम पक्ष (1) सुरेन्द्र कंसारी उम्र 50 वर्ष (2) जितेंद्र कंसारी उम्र 39 वर्ष (3) धमेन्द्र कंसारी उम्र 40 वर्ष तीनों के पिता स्व० दैयतारी कंसारी (4) हरिश कंसारी उम्र 22 वर्ष पिता सुरेन्द्र कंसारी (5) संतोष कंसारी उम्र 48 वर्ष पिता स्व० बुधु कंसारी सभी ग्राम पालकोट कंसारी मुहल्ला थाना पालकोट, जिला गुमला बनाम द्वितीय पक्ष (1) प्रमोद कंसारी उम्र 38 वर्ष पिता स्व० घनश्याम कंसारी ग्राम गिरजा टांगराटोली थाना पालकोट जिला गुमला के बीच आपसी विवाद को लेकर उभय पक्षों के बीच अशांति फैलने की सम्भावना को लेकर प्रतिवेदित किया गया है। तदनुसार दं०प्र०सं० की धारा 107 की कार्रवाई नियत तिथि एवं समय में कार्यवाही प्रारम्भ की गई एवं उभय पक्षों को कारण पृच्छा दाखिल करने हेतु नोटिस निर्गत किया। उभय पक्ष नोटिस प्राप्त कर न्यायालय में उपस्थित हुए :- वाद की कार्रवाई के दौरान उभय पक्षों द्वारा किसी प्रकार से शांति भंग करने संबंधी सूचना थाना प्रभारी पालकोट या अन्य स्रोतों से अप्राप्त है, उभय पक्ष न्यायालय के बाहर आपसी समझौता कर अपने अधिवक्ता के माध्यम से न्यायालय में उक्त वाद को सुलहनामा कर वाद की कार्रवाई को समाप्त करने हेतु सुलहनामा दाखिल किया गया। ऐसी स्थिति में वाद की कार्रवाई सुलहनामा के आधार पर वाद की कार्रवाई बिना गुण दोष के समाप्त की जाती है। लेखापित ।  अनुमण्डल दण्डाधिकारी बसिया(गुमला)।	